रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 1987/ज्येष्ठ 6, 1909
No. 282] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 1987/JYAISTHA 6, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 1987

अधिसूचना

सं. 153/87-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 530(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के

शीर्ष सं. 84.14 के अंतर्गत आने वाले बाइसिकिल पंपों और बाइसिकिल पंपों के पुर्जों को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 156/4/85-के.शु. 4(टी आर यू)]
गौतम रे, उप सचिव

MINISRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 27th May, 1987

NOTIFICATION

NO. 153|87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 530(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excises Rules, 1944, the Central Government hereby exempts bicycle pumps and parts of bicycle pumps, falling under heading No. 84.14 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from the whole of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule.

[F. No. 156|4|87-CX.4(TRU)]
GAUTAM RAY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987